संस्थागत वित्त संचालनालय
मध्य प्रदेश

ग–खण्ड, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन,
भोपाल – 462004
दूरभाषः 0755–2551199 / 2552003
फेक्सः 2551387
ई-मेल: difbho@mp.nic.in
वेब-साइट: www.dif.mp.gov.in

क्र:एफ.1/22/2013/पीएमयू–908 भोपाल, दिनांक 19 मार्च, 2013

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश

विषयः–विदेशी संस्थाओं के माध्यम से परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु वित्तीय सहयोग बाबत्।
संदर्भः– भारत सरकार का पत्र क्र.3/7/2009–पीएमयू दिनांक 26–02–2013।

––00––

भारत सरकार ने उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि कतिपय प्रकरणों में बाह्य वित्त पोषण एजेंसियां सीधे राज्य शासन के विभाग/उपक्रम से, बाह्य वित्त पोषण हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए, प्रस्ताव पर विचार विमर्श करती हैं जो उचित नहीं हैं। राज्य शासन के विभिन्न विभाग/उपक्रमों द्वारा बाह्य वित्त पोषण एजेंसी से वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया निम्नानुसार हैः–

1. विभाग स्तर पर प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन (कनसेप्ट नोट) तैयार करना तथा निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव तैयार करना। विभाग स्तर पर प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जाकर कनसेप्ट नोट एवं निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव बाह्य वित पोषित परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संचालनालय संस्थागत वित्त को अग्रेषित करना।

2. संचालनालय संस्थागत वित्त द्वारा प्राप्त परियोजना प्रस्ताव का परीक्षण कर राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

3. राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरान्त परियोजना प्रस्ताव को प्रशासकीय विभाग द्वारा केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को अनुशंसा हेतु अग्रेषित करना। साथ ही योजना आयोग, भारत सरकार की भी सहमति प्राप्त करना।

4. केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग द्वारा विभागीय प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को अनुशंसित करने तथा योजना आयोग, भारत सरकार की सहमति प्राप्त करने के पश्चात संचालनालय संस्थागत वित्त को Fiscal Reforms Unit, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से Debt Sustainability Clearance जारी करने हेतु प्रस्ताव अग्रेषित करना।

5. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संबंधित वित्त पोषण एजेंसी को प्रस्ताव अग्रेषित करना।

6. संबंधित वित्त पोषण एजेंसी से आने वाले विभिन्न मिशन को आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराना।

7. वित्त पोषण एजेंसी से प्राप्त ड्राफ्ट अनुबंध पर भारत सरकार के साथ निगोसियेशन में भाग लेना।

भारत सरकार द्वारा इस विषय पर जारी दिशा–निर्देश इस संचालनालय की वेबसाईट www.dif.mp.gov.in पर उपलब्ध हैं। भारत सरकार द्वारा जारी Project Readiness Checklist की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है। सभी विभाग, विभागाध्यक्ष, राज्य शासन के उपकम से अपेक्षा है कि बाहय वित्त पोषण हेतु परियोजना प्रस्ताव पर किसी भी वित्त पोषण संस्था से चर्चा के पूर्व समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त ही आगे की कार्यवाही की जाय।

संलग्नः–उक्तानुसार।

19.3.2013

(आशीष उपाध्याय)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
सह आयुक्त
संस्थागत वित्त
भोपाल, दिनांक 19 मार्च, 2013

पृ.क्र: क्र:एफ.1/22/2013/पीएमयू–709

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
5. अध्यक्ष/प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्य प्रदेश के समस्त निगम/मण्डल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

19.3.2013

(आशीष उपाध्याय)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
सह आयुक्त
संस्थागत वित्त

SHAKTIKANTA DAS, IAS
Additional Secretary

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
नई दिल्ली-110001
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
New Delhi-110001
Telephone : 23092804 Fax : 23094052
E-mail : s.das@nic.in

D.O.No.3/7/2009-PMU

मुख्य सचिव कार्यालय
CS/GEN/ 1423/2013
दिनांक 13/3/2013

26th February, 2013

Dear Shri Parasuram

As you are aware, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance is the focal point for all matters pertaining to technical and financial assistance from external agencies. In this context, Government of India has recently taken up the issue of breach of the established procedure of transaction of business with donors and external funding agencies.

2. I enclose a copy of the communication dated February 26, 2013 sent to external agencies in this regard.

3. I request you to kindly have the necessary instructions issued so that these normative guidelines are observed at all times by all State Government Departments and other organizations while dealing with the external funding agencies.

With kind regards,

Yours sincerely,

Encl: As above.

(Shaktikanta Das)

12 MAR 2013
PS Fin.

Shri R.Parasuram,
Chief Secretary,
Government of Madhya Pradesh,
Mantralaya, Vallabh Bhavan
Bhopal-462004